



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-11112025-267562
CG-TL-E-11112025-267562

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4925]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 11, 2025/कार्तिक 20, 1947

No. 4925]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 11, 2025/KARTIKA 20, 1947

रेल मंत्रालय
(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 7 नवम्बर, 2025

का.आ. 5080(अ).—रेलवे अधिनियम, 1989 (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 20एफ की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित मध्यस्थ को उक्त अधिनियम के अंतर्गत ऐसे प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए जो आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन के तारीख से प्रभावी है, महाराष्ट्र राज्य में “ औरंगाबाद – अंकाई दोहरीकरण ” एवं “ अंकाई बाइपास लाइन ” की विशेष रेलवे परियोजनाओं के संबंध में, उक्त तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित जिले से संबंधित हैं, ऐसी विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए नियुक्त करती है।

सारणी

क्रम सं.	अधिकारी	जिला
(1)	(2)	(3)
1.	संयुक्त आयुक्त (पुनर्वास), नासिक	नासिक

[फा. सं. E-313959/20F/071125]

हेमंत कुमार भगोरिया, मुख्य इंजीनियर/निर्माण-V

MINISTRY OF RAILWAYS**(South Central Railway)****NOTIFICATION**

Secunderabad , the 7th November, 2025

S.O. 5080(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section 20F of the Railways Act, 1989 (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby appoints the arbitrator mentioned in column (2) of the table below to perform the functions as such authority under the said Act, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the special railway projects of “Aurangabad – Ankai Doubling” & “Ankai bypass line” in the state of Maharashtra relating to district mentioned in column (3) of the said table for the purpose of execution, maintenance, management and operation of such special railway project.

Table

S.No.	Officer	District
(1)	(2)	(3)
1.	Joint Commissioner (Rehabilitation), Nashik	Nashik

[F. No. E-313959/20F/071125]

HEMANT KUMAR BHAGORIA, Chief Engineer/Con-V